

सीमान्त उपयोगिता हृस नियम (Law of Diminishing Marginal Utility)

There is an endless variety of wants but there is a limit to each separate want. This familiar and fundamental tendency of human nature may be stated in the Law of Satisfiable Wants or of diminishing utility."

—Marshall

उपभोग के क्षेत्र में, विशेषकर उपयोगिता-विश्लेषण के अन्तर्गत, 'उपयोगिता हृस नियम' का महत्वपूर्ण स्थान है। यद्यपि इस नियम का उल्लेख बेन्थम (Bentham) के आर्थिक सिद्धान्तों में मिलता है, परन्तु आवश्यकताओं की सन्तुष्टि के सम्बन्ध में सर्वप्रथम इसका उल्लेख जर्मन अर्थशास्त्री एच० एच० गोसेन (H. H. Gossen) ने किया। यही कारण है कि इस नियम को 'गोसेन का प्रथम नियम' (Gossen's First Law) या 'सन्तुष्टि का नियम' (Law of Satiety) कहा जाता है।

1. नियम का आधार (Basis of the Law) :

आवश्यकताओं के लक्षणों से यह स्पष्ट है कि आवश्यकताएं असीमित हैं, किन्तु उनमें से किसी एक आवश्यकता को पूर्णतया सन्तुष्टि किया जा सकता है। हम अपने दैनिक जीवन में भी यह अनुभव करते हैं कि किसी वस्तु की मात्रा जैसे-जैसे हमारे पास बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे उस वस्तु की उपयोगिता हमारे लिए कम महसूस होने लगती है। उस वस्तु की और अधिक मात्रा प्राप्त करने की तीव्रता भी कम होती चली जाती है। इसीलिए प्रो० मार्शल ने कहा है 'किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु की जितनी मात्रा (स्टॉक) पहले से है, उसमें वृद्धि होने से जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है, वह, अन्य बातों के समान रहने पर, उस वस्तु की मात्रा (स्टॉक) में वृद्धि के साथ-साथ घटता जाता है।'¹ इस प्रकार यह नियम

1. "The additional benefit which a person derives from a given increase of a stock of a thing diminishes, other things being equal, with every increase in the stock that he already has"

—Marshall

2. नियम की परिभाषा (Definition) :

उपयोगिता हास नियम किसी वस्तु की मात्रा में घट-बढ़ तथा सीमान्त उपयोगिता में कमी तथा वृद्धि के बीच सम्बन्ध स्थापित करता है। यह ज्ञात है कि किसी वस्तु की उपयोगिता इसकी मात्रा की विपरीत दिशा में परिवर्तित होती है। इसका अर्थ यह है कि किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने पर उसकी प्रत्येक अतिरिक्त इकाई की उपयोगिता घट जाती है तथा उसकी मात्रा में कमी होने पर उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है।

एडवर्ड नेविन (Edward Newin) के अनुसार 'किसी वस्तु के उपभोग के क्रम में प्रत्येक वृद्धि के साथ उस वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है।'¹ इस तथ्य को गोसेन ने (H.H. Gossen) इन शब्दों में व्यक्त किया था : "जब तक पूर्ण सन्तुष्टि का बिन्दु नहीं आ जाता तब तक एक ही और उसी सन्तुष्टि की मात्राओं में वृद्धि करने पर क्रमशः उसका हास होता जाता है।"²

प्रो० चेपमैन (Chapman) ने इस नियम को इस प्रकार परिभाषित किया है, "किसी वस्तु की जितनी अधिक मात्रा हमारे पास होती है उतनी ही कम हम उस वस्तु की अतिरिक्त वृद्धि चाहते हैं या उतनी ही अधिक हम उस वस्तु की अतिरिक्त वृद्धि नहीं चाहते।"³ अन्य शब्दों में, हम किसी वस्तु का जितना अधिक उपभोग करते हैं हमें उसकी उतनी ही कम इच्छा होती जाती है।

और चौंडा होने पर उसे ध्यनी सास का दग । ॥ एसा हा बचार हराड न मा
ल्यक्त किया है । कुछ दशाओं में वस्तु से अधिक उपयोगिता मिलती है और कुछ में
कम उपभोक्ता सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपयोग को ही प्राथमिकता प्रदान करता है ।

4. नियम की व्याख्या :

यह नियम इस अनुभव पर आधारित है कि उपभोग की क्रिया में जैसे-जैसे
हमारे पास किसी वस्तु की मात्रा बढ़ती जाती है, अन्य बातों के समान रहने पर,
उस वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई की अतिरिक्त उपयोगिता क्रमशः घटती जाती
है । धीरे-धीरे एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ उपभोक्ता की आवश्यकता पूर्णतया
सन्तुष्ट हो जाती है । इस स्थिति पर पहुँचने पर उपभोग की गयी अतिरिक्त इकाई
की उपयोगिता शून्य हो जाती है । यदि इस सीमा के बाद भी उपभोग की क्रिया

सीमान्त उपयोगिता हास नियम

चलती रहे तो अगली इकाइयों से उसे उपयोगिता के स्थान पर अनुपयोगिता (disutility) मिलेगी, जिसे नकारात्मक उपयोगिता (negative utility) कहा जाता है। जैसा कि नीचे दी गयी तालिका में स्पष्ट किया गया है, क्रमशः उपभोग की गयी वस्तु की इकाइयों से प्राप्त कुल उपयोगिता घटते हुए क्रम से बढ़ती है तथा अतिरिक्त इकाई की सीमान्त उपयोगिता घटती जाती है। अतः चैपमैन के हम अनुसार, “किसी वस्तु की जितनी अधिक मात्रा हमारे पास होती है, उतनी ही कम वृद्धि से सीमान्त उपयोगिता कम होती जाती है, अर्थात् उस वस्तु के स्टॉक में वृद्धि करने पर प्राप्त होने वाली उपयोगिता में जो वृद्धि होती है, वह घटती हुई दर से होती है। इसीलिए इस नियम को सीमान्त उपयोगिता हास नियम कहते हैं।

5. उदाहरण द्वारा नियम का स्पष्टीकरण :

इस नियम की व्याख्या अधिक स्पष्ट रूप से करने के लिए रोटियों की इकाइयों के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता को ‘नीचे दी गयी’ सारिणी में दिखालाया गया है :

रोटी से प्राप्त उपयोगिता


उपभोग-इकाइयाँ (रोटी)	सीमान्त उपयोगिता (सन्तुष्टि की इकाइयाँ)	कुल उपयोगिता (सन्तुष्टि की इकाइयाँ)
1	20	29
2	14	34
3	10	44
4	8 (Positive utility)	52
5	6	58
6	0 शून्य सी. ऊ. (Zero Utility)	58
7	-2 अनुपयोगिता (Negative Utility)	56

उपर्युक्त सारिणी से स्पष्ट है कि पहली रोटी की उपयोगिता 20, दूसरी की 14, तीसरी की 10, चौथी की 8, पाँचवीं की 6, छठी की (शून्य), सातवीं की -2 इकाइयों के बराबर है। इससे यह ज्ञात होता है कि पहली रोटी उपभोग करने के बाद प्रत्येक अगली इकाई (दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं) की उपयोगिता घटती जाती है। छठी रोटी का उपभोग करने पर, पूर्ण सन्तुष्टि प्राप्त होती है। अतः इस रोटी की उपयोगिता शून्य के बराबर है। इसके पश्चात् भी सातवीं है। अतः इस रोटी की उपयोगिता शून्य के बराबर है। इसके पश्चात् भी सातवीं है। अतः इस रोटी की उपयोगिता मिलने के स्थान पर अनुपयोगिता मिलने लगती है जो क्रृणात्मक (-2) है।

इस सम्बन्ध में यह ध्यान में रखना चाहिए कि हासमान उपयोगिता नियम सीमान्त उपयोगिता में घटने (हास) की दर (the rate of decline of marginal utility) का उल्लेख नहीं करता। इस नियम के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि सीमान्त उपयोगिता तीव्र या धीमी गति से घट रही है अथवा हास की दर परिवर्तनशील है या स्थिर। इस नियम से केवल इतना ही पता चलता है कि किसी वस्तु की इकाइयों में वृद्धि होने पर प्रत्येक अतिरिक्त इकाइयों की उपयोगिता घटती जाती है।

6. रेखाचित्र द्वारा स्पष्टीकरण (Diagrammatic Representation) :

सीमान्त उपयोगिता हास नियम का रेखाचित्र द्वारा भी स्पष्टीकरण किया जा सकता है, जो इस प्रकार है :




चित्र-3

पूर्ववत्त सारिणी की सहायता से रेखाचित्र बनाकर सीमान्त उपयोगिता हास नियम को स्पष्ट किया गया है। चित्र 3 में OX-अक्ष (axis) पर रोटी की इकाइयों को तथा OY-अक्ष पर उसकी प्रत्येक इकाई से प्राप्त उपयोगिता की इकाइयों को अंकित किया गया है। प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त उपयोगिता को अलग-

अलग आयतों के द्वारा व्यक्त किया गया है। प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त उपयोगिता को व्यक्त करने वाले आयत का आकार घटता जाता है, जो यह व्यक्त करता है कि प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त सन्तुष्टि कमशः घटती जाती है। छठी रोटी से शून्य के बराबर सन्तुष्टि प्राप्त होती है और सातवीं रोटी से सन्तुष्टि प्राप्त होने के स्थान पर अनुपयोगिता प्राप्त होने लगती है जिसे उससे सम्बन्धित आयत को OX-अक्ष के नीचे की ओर प्रदर्शित किया गया है।

अब यदि OX-अक्ष के प्रत्येक बिन्दु (A, B, C, D, E, F तथा G) पर, जो रोटियों की प्रत्येक इकाई को व्यक्त करता है, प्राप्त उपयोगिता की इकाईयों के बराबर ऊंची एक खड़ी रेखा (vertical line) ऊंच दी जाय तथा उनके उपरी बिन्दुओं को मिला दिया जाय तो उपयोगिता-बक्त्र चित्र 4 में दिये गए आकार का होगा :



चित्र-4

OA इकाई की सीमान्त उपयोगिता AA_1 तथा AB की सीमान्त उपयोगिता BB_1 शीर्ष रेखाओं द्वारा मापी गयी है। इस प्रकार प्रत्येक इकाई (BC, CD, DE, EF, FG) की सीमान्त उपयोगिता की (CC_1, DD_1, EE_1, GG_1) द्वारा व्यक्त किया गया है।

7. नियम की सीमाएँ तथा मान्यताएँ

(Limitations and Assumptions of the Law) :

उपयोगिता हास नियम 'अन्य बातों के यथावत या समान रहने पर' (other things remaining the same) ही लागू होता है। यह वाक्यांश इस नियम के सम्बन्ध में कुछ सीमाओं एवं मान्यताओं की ओर संकेत करता है जो निम्नलिखित हैं :

(1) उपभोक्ता की मानसिक स्थिति एक-सी रहनी चाहिये : यह नियम उसी समय लागू होगा जबकि उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन न हो, जैसे यदि कोई उपभोक्ता किसी समय खाना खाने के दौरान दो रोटियाँ खाने के बाद भाँग या शराब का प्रयोग करता है तो उसकी मानसिक स्थिति में परिवर्तन हो जायेगा। इसके पश्चात् हो सकता है कि तीसरी रोटी से उसे पहले में परिवर्तन हो जायेगा। उपभोग की गई दो रोटियों की तुलना में अधिक सन्तुष्टि मिले। इस प्रकार मानसिक स्थिति में परिवर्तन हो जाने पर यह नियम लागू नहीं होगा।

(2) वस्तु की प्रत्येक इकाई का परिमाण उचित होना चाहिए : उपभोग वस्तु की प्रत्येक इकाई का परिमाण उचित होना चाहिए, अन्यथा प्रारम्भिक अवस्था में ही आवश्यकता की तीव्रता घटने के स्थान पर अधिक हो जायेगी। उदाहरणार्थ, यदि एक प्यासे व्यक्ति को चम्मच से पानी पिलाया जाय तो कुछ चम्मच पानी की इकाइयों तक उनकी उपयोगिता घटने के स्थान पर बढ़ती जायेगी।

(3) वस्तु की प्रत्येक इकाई का रूप, रंग, आकार तथा गुण समान होना चाहिए : उपभोग वस्तु की प्रत्येक इकाई का रूप, रंग, आकार एवं गुण समान होना चाहिए। यदि किसी अगली इकाई का रूप एवं आकार बदल दिया जाय तो अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता घटने की अपेक्षा बढ़ेगी। जैसे रुखी रोटी के स्थान पर पराठा दे दिया जावे तो अगली इकाई से सीमान्त उपयोगिता घटने की बजाय निश्चित ही बढ़ जावेगी।

(4) वस्तु की इकाइयों का उपभोग लगातार होना चाहिए : किसी वस्तु की इकाइयों का उपभोग लगातार होना चाहिए, अन्यथा यह नियम लागू नहीं होगा। यदि हम भोजन दो-बार करते हैं तो प्रत्येक बार भोजन करने पर सन्तोष मिलेगा।

8. नियम के तथाकथित अपवाद (Alleged Exceptions) :

प्रो० मार्शल के अनुसार अगर अन्य वातें यथावत् रहें तो यह नियम अपनी मान्यताओं के अन्तर्गत सदैव सत्य उत्तरता है। फिर भी अर्थशास्त्रियों ने इसके निम्नलिखित अपवादों का उल्लेख किया है। इनमें से अधिकांश अपवाद तो दिखावटी या नाम-मात्र के हैं।

(1) यदि किसी वस्तु को बहुत छोटी सी मात्रा की इकाई का उपभोग किया जाय तो यह नियम लागू नहीं होगा : प्रो० चैपमैन ने चाय बनाने के लिए कोयले के प्रयोग का उदाहरण देते हुए कहा है कि यदि कोई व्यक्ति, मान लीजिए, 100 ग्राम कोयले का प्रयोग करता है तो यह इकाई इतनी कम मात्रा में है कि होगी। परन्तु यह अपवाद सही नहीं है, क्योंकि इस नियम की यह मान्यता है कि उपभोक्ता को कोयले की दूसरी 100 ग्राम मात्रा इकाई से अधिक उपयोगिता प्राप्त होगी। अतः उपभोग की जाने वाली इकाई की मात्रा उपयुक्त तथा उचित होनी चाहिए। अतः यह अपवाद दिखावटी व नाम-मात्र का ही है।

(2) दुर्लभ वस्तुओं, अप्राप्य व विलक्षण वस्तुओं, जैसे डाक-टिकट, दुर्लभ चित्र, प्राचीन मूर्तियों, पुराने सिक्के आदि के संग्रह में यह नियम लागू नहीं होता : यह नियम दुर्लभ वस्तुओं (Rare articles), जैसे डाक-टिकट, दुर्लभ चित्र तथा प्रदर्शन-वस्तुओं के सम्बन्ध में लागू नहीं होता। इनकी मात्रा में प्रत्येक वृद्धि के साथ इनकी सीमान्त उपयोगिता में कमी नहीं, बल्कि वृद्धि होती है। यह अपवाद भी सही नहीं है। इस सम्बन्ध ने ध्यान रखना चाहिए कि इन वस्तुओं की इकाईयाँ समान नहीं होतीं। इस नियम के लागू होने के लिए इन वस्तुओं की विभिन्न इकाईयों के उपयोगिता के स्थान पर समूह (Group or set) की उपयोगिता जात दिखायी देती है। वस्तुतः डाक-टिकट संग्रह करने वाला व्यक्ति विभिन्न प्रकार के डाक-टिकटों के 'सेट' के संग्रह में विशेष रुचि रखता है। यदि वह एक ही प्रकार के टिकटों का पूरा 'सेट' लेता है तो उसी प्रकार के टिकटों के दूसरे सेट की उपयोगिता निश्चय ही कम होगी। यही स्थिति अन्य दुर्लभ तथा बहुमूल्य वस्तुओं की दशाओं में भी रहती है।

(3) शराब पीने तथा अच्छी कविता या मधुर संगीत की इच्छा का सन्तुष्ट न होना : कुछ अर्थशास्त्रियों का यह विचार है कि शराब पीने की इच्छा तथा अच्छी कविता या मधुर संगीत बार-बार सुनने की इच्छा कभी सन्तुष्ट नहीं होती। अतः यह अपवाद निराधार है। शराब पीने के बाद शराबी की मानसिक स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, जबकि इस नियम की यह मान्यता है कि उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कविता तथा संगीत के सम्बन्ध में यह कहना गलत है कि उसी कविता या गाने को सुनने पर प्रत्येक बार समान सन्तुष्टि प्राप्त होती है। परन्तु यह व्यावहारिक सत्य है कि पहली बार उसे सुन लेने के पश्चात, दूसरी बार उसके सुनने में उतनी रुचि नहीं होती। अतः यहाँ